राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 हेतु सुझाव'

1. प्रारम्भिक शिक्षा की सुदृढ़ता –

प्रारम्भिक शिक्षा, सम्पूर्ण शिक्षा की नींव होती है। बालक का इस स्तर पर विकसित होना आवश्यक है लेकिन वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति दयनीय है। यहाँ तक कि बहुत से विद्यालय खुले में पेड़ों के नीचे चलते है। अधिकांश विद्यालयों में एक ही शिक्षक बालकों को मात्र घेरे रहता है, शिक्षण की बात तो अलग है। अलग–अलग कक्षाओं का पाठ्यक्रम तथा बालकों की शारीरिक/मानसिक स्थिति अलग–अलग होते हुए भी कुल छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षक की व्यवस्था ने प्रारम्भिक शिक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा दिये है। इसलिये प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति ठीक करने के लिये उपरोक्त सभी अवरोध/कमियों को दूर करना होगा।

2. प्रारम्भिक स्तर पर का शिक्षण मातृ भाषा में –

प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े बालकों का सकारात्मक शिक्षण पारिवारिक परिपेक्ष्य में ही सम्भव है। इसको लिये आवश्यक है, उनका शिक्षण पारिवारिक भाषा अथवा मातृ भाषा में हो तब ही उनका उचित विकास सम्भव है। मातृ के साथ हिन्दी का अध्ययन भी आवश्यक कराया जाये। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा एवं हिन्दी के साथ अंग्रेजी व तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत या अन्य भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है।

3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हो –

प्राथमिक कक्षाओं के लिये अबोध बालकों को मानसिक रूप से तैयार करने, निजी विद्यालयों में मंहगी शिक्षा से आमजन की असमर्थता को देखते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भ करने के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी विद्यालयों से जोड़ा जाना चाहिये।

4. माध्यमिक शिक्षा की अनिवार्यता –

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने के लिये माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाये तथा 2 कि.मी. परिधि में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा में भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिये ऐसे क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक एवं अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए स्थानीय स्तर पर भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय संचालक/प्रबन्धन में स्वायतत्ता दी जाये।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा को रूचिकर बनाने, पाठ्यक्रम व्यवहारिक एवं दैनिक उपयोगिता पूर्ण हो तथा शिक्षकों का चिन्तन एवं कार्यक्षेत्र मात्र शैक्षणिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाये। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को दूर रखा जाये।

विद्यालय खोलने एवं व्यवस्थाओं की दृष्टि से पी.पी.पी.मॉडल को केवल विद्यालयों के भौतिक संसाधन एवं वित्तीय व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाये।

5. व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण –

व्यावसायिक शिक्षा का सृदृढ़ीकरण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समय–समय पर इसका प्रावधान भी किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है मगर कुछ समय उपरान्त यह शिक्षा औपचारिक मात्र ही रहती आयी है।

स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार उत्पादकतापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाये जिससे छात्र उत्पादकता से जुड़कर, भविष्य के लिये स्वावलम्बी बन सके। प्रशिक्षण भी इसी अनुरूप दिये जाकर तदनुसार शिक्षकों का पदस्थापन हो। समय–समय पर उत्पादकता का सकारात्मक मूल्यांकन हो। विद्यालयों में इस हेतु परामर्श समिति स्थापित हो जो छात्रों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान कर आवश्यक सहयोग करें।

6. परीक्षा–प्रणाली में सुधार –

वर्तमान में परीक्षा–प्रणाली पर प्रायः सभी राज्यों में प्रश्न चिह्न लगते रहते है, इसलिए इसमें सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता है। आज की परीक्षा–प्रणाली येन–केन उत्तीर्ण कर रिकार्ड संधारण वाली अधिक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

सी.सी.ई. जैसी मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों के लिये रिकार्ड संधारण का बोझ ही साबित हुई है, न की वास्तविक मूल्यांकन।

परीक्षा सतत् मूल्यांकन पद्वति के आधार पर रखते हुए इसको पारदर्शी बनाया जाये। पारदर्शिता के लिये प्रत्येक मूल्यांकन को ऑनलाईन किया जाये। इसकी परख भी छात्रों के समक्ष की जाये। छात्रों के फेल नहीं करने की नीति को बदलकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर बोर्ड परीक्षा को रखते हुए सतत् मूल्यांकन को भी उसमें समावेशित किया जाये।

7. विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाना –

वर्तमान में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त रहते हैं। निजी विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक अप्रशिक्षित या अयोग्यताधारी होते है। शैक्षिक सत्र में अधिकांश समय शिक्षक स्थानान्तरण/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/गैर शैक्षिक कार्यों से अस्थिर अवस्था में रहता है।

विद्यालयों को खोलने या क्रमोन्नत करने से पूर्व वहाँ की भौतिक उपलब्धता/पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता की धारणा को बदलना होगा। विषय और कक्षा वर्ग के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था से ही गुणात्मक शिक्षक व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है।

आवश्यकतानुसार पारिवारिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों या अन्य कारणों से अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की भी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संस्था प्रधानों को करने के लिये अधिकृत करने एवं इसके लिये वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

प्रशिक्षण विद्यालयों में पाठ्यक्रम/शिक्षक विधि और विद्यालयों शिक्षकों द्वारा अपनायी जा रही या जाने वाली शिक्षण विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करनी होगी। स्थानान्तरण/पदोन्नति की व्यवस्था पारदर्शिता पूर्ण शिक्षण सत्र से पूर्व ही करनी होगी।

शिक्षकों को सेवा शर्तों/वेतन भत्ता सम्बन्धी समस्याओं से मुक्त करने हेतु नियामक आयोग जैसी संस्था गठित कर शिक्षा को राजनैतिक हस्तक्षेपों से मुक्त करना आवश्यक है।

8. प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन –

राष्ट्रीय विकास में छात्रों के साथ अभिभावको का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। इस दृष्टि से प्रोढों को भी शिक्षित होना आवश्यक है।

प्रोढ़ों को अपने सामाजिक/पारिवारिक दायित्वों या अन्य कारणों से प्रत्यक्ष या नियमित शिक्षा से जोड़ा जाना असम्भव है। इसलिये प्रोढ़ शिक्षा का अपना अलग ही महत्व है। भारतीय परिपेक्ष्य में ग्रामीण अभिभावकों को प्रोढ़ शिक्षा के माध्यम से ही साक्षर किया जा सकता है।

9. संचार प्रोद्योगिकी का समावेश –वर्तमान समय में योग्यतम से योग्यतम शिक्षक/छात्र/अभिभावक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अभाव में निरक्षर के समतुल्य ही अपने–आपको महसूस करता है।

वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का यह महत्वपूर्ण पहलू है।

प्रत्येक विद्यालय में छात्र अनुपात से कम्प्यूटर उपलब्ध कराने, विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने, कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्थायी शिक्षकों का पदस्थापन, इसका शिक्षण अन्य विषयों की तरह मूल्यांकन से जोड़ना होगा।

10. शिक्षा में अधिगम परिणाम में सुधार –

स्कूल शिक्षा में छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिये विज्ञान, गणित और प्रोद्योगिकी को शिक्षा हेतु इन विषयों का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिये हुए ऐसा हो जो छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला हो। इनके शिक्षण की विधियों में भी सैद्धान्तिक की अपेक्षा रचनात्मक अधिक हो। कक्षा कक्षों का वातावरण पूर्णतया विषय के अनुकूल हो। समय–समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सैद्वांतिक व चल–चित्र, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की भविष्य के साथ निकटता एवं भविष्य की समस्याओं में इसके समाधान का ज्ञान कराया जाये।

11. विद्यालय मानक, मूल्यांकन एवं प्रबन्ध प्रणाली में सुधार –

विद्यालय मानक, विद्यालय मूल्यांकन एवं विद्यालय प्रबन्धन प्रणाली में सुधार के लिये स्थानीय संस्थायें यथा पंचायत आदि को विद्यालय में भौतिक संसाधन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान तक ही सीमित रखकर जोड़ना होगा। समय–समय पर निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित हो। अधिकारियों/शिक्षकों का समय–समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण हो तथा सतत् मूल्यांकन व्यवस्था निष्पक्ष रूप से लागू हो।

गुणात्मक शिक्षा के लिये विद्यालय मूल्यांकन एवं विद्यालय प्रणाली की कुशलता आवश्यक है।

वर्तमान में विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय भागीदारी को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है लेकिन व्यवहार में यह नही के बराबर ही है। अब तक स्थानीय भागीदारी शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के रूप में नहीं होगी, इसका उद्देश्य प्राप्त करना अनिश्चित है।

स्थानीय स्तर पर पंचायत को भी विद्यालयों के भौतिक विकास से जोड़ना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर संस्था प्रधानों को वित्तीय अधिकार के उपयोग को सरलीकरण, राजनैतिक हस्तक्षेप कम कर, संस्था प्रधान की अभिशंषा को महत्व देकर उचित उपलब्धि प्राप्त करना आसन हो सकता है। स्थानीय स्तर पर अधिक स्वायतता प्रदान करते हुए सम्बन्धित को अपेक्षित उपलब्धिदायी बनाना भी अति–आवश्यक है। इसके लिये समय–समय पर व्यावहारिक निरीक्षण सुनिश्चित होना चाहिये।

12. समावेशी शिक्षा के योग्य बनाना–बालिकाओं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा –

अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प समूहों से सम्बन्धित बच्चों के लिये पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके अभिभावकों को विद्यालय प्रबन्धन में जोड़ा जाये तथा ऐसे छात्रों को वित्तीय लाभ से प्रोत्साहित किया जाये।

विकलांग बच्चों की भागीदारी के लिये विशेष विद्यालयों की स्थापना करते हुए इन विद्यालयों में विशेष योग्यताधारी शिक्षकों को पदस्थापन किया जाये। ऐसे विद्यालयों के छात्रों में

आगे के शिक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। शिक्षा के अधिकार के तहत अभिभावकों को वैधानिक स्थिति एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाये।

13. शारीरिक शिक्षा एवं कला व नैतिक शिक्षा का समावेश –

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, बिना शारीरिक शिक्षा, कला, नैतिक शिक्षा एवं जीवन कौशल के इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान में ये विषय किसी न किसी रूप में सम्मलित किये जाते रहे है लेकिन इनका शिक्षण, मूल्यांकन मात्र औपचारिकता होती है।

इसके लिये आवश्यक है इसको व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिये पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति से जुड़ें पहलुओं/महापुरूषों के जीवन दर्शन, चिन्तन को जोड़ा जाये। इन विषय के प्रशिक्षित शिक्षकों को पदस्थापित किया जाये। समय–समय पर सुनिश्चित किया जाये कि इनके व्यावहारिक शिक्षण की स्थिति क्या है। इनके लिये आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

14. बाल स्वास्थ्य पर बल –

शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिये बाल स्वास्थ्य पर बल दिया जाना आवश्यक है। भारत में अधिकांश छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से है। अधिकांश छात्र अपने अभिभावकों के साथ श्रम करते है, उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक की भरपूर्ण भोजन भी बहुत से छात्रों को नहीं मिल पाता। ऐसे में राष्ट्र के स्वच्छ भावी नागरिक बनाने के लिये बाल स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है।

वर्तमान में मिड–डे–मील व्यवस्था के अन्तर्गत दोपहर में भोजन छात्रों को दिया जाता है लकिन इस पर आवंटित बजट इतना न्यून होता है कि यह योजना अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पा रही है। छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का तो वास्तव में दिखावा ही होता है।

आवश्यकता है कि स्वास्थ्य परीक्षण एवं भोजन व्यवस्था को वैधानिकरण से जोड़ते हुए बजट का अवरोध समान कर कठोरता से निरीक्षण कर बाल स्वास्थ्य योजनाओं का लागू किया जाये तथा मिड–डे–मील योजना माध्यमिक स्तर तक लागू की जावे। शारीरिक शिक्षा को व्यावहारिक स्तर पर लागू किया जाये। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

विद्यालयों में वित्तीय–व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने, रिकार्ड व्यवस्था पूर्ण करने, डाक आदि की व्यवस्था पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं करने की प्रारम्भिक शिक्षा प्रभावित हो रही है।

अपूर्ण शिक्षकों से संचालित विद्यालयों की स्थिति, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों करने से और भी अधिक खराब हो गयी है। शिक्षकों को विभिन्न नाम से एक समय प्रशिक्षण देने की औपचारिकता भी उचित नहीं है।

प्रारम्भिक शिक्षा मे अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्त व्यवस्था में कहीं अधिक सुधार की आवश्यकता है।

15. शिक्षा रोजगार एवं स्वायलम्बी हो –

निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति का मानसिक स्तर/चिन्तन आधुनिकता लिये हुए होता है। इसलिये शिक्षक बेरोजगार, अशिक्षित व्यक्ति से अधिक समाज में विपरीत प्रभाव डालने वाला होता है। आज अनेक असामाजिक/अनैतिक घटनाओं में शिक्षित बेरोजगारों की भागीदारी से नकारा नहीं जा सकता है।

इसलिये योग्य व्यक्ति की योग्यता का सकारात्मक योगदान समाज एवं राष्ट्र के लिये हो तो आवश्यक है कि शिक्षा स्वरोजगार एवं स्वायलम्बी होनी चाहिये।

इसके लिये आवश्यक है कि पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार लिये हुए हो, उसके लिये आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित शिक्षक हो। इसी के अनुकूल परिस्थितियाँ निर्माण के लिये मागदर्शन समितियाँ स्थानीय स्तर पर हो।

16. शिक्षा में भारतीय जीवन दर्शन का समावेश हो –

शिक्षा की गुणवत्ता में आ रही गिरावट, छात्रों के मध्य परस्पर उत्पन्न कटुता/अनुशासनहीनता/समाज में आये दिन हो रहे असामाजिक एवं अनैतिक कृत्यों को देखते हुए पाठ्यक्रमों में नैतिकता का समावेश आवश्यक है, इसके लिये शिक्षा में भारतीय जीवन दर्शन एवं मूल्यों का पर्याप्त समावेश हो।

17. केन्द्र व राज्यों में समान शिक्षा/शिक्षण/वेतन भत्तें –

प्रतियोगिता पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक है कि केन्द्र एवं राज्यों में समक्ष पाठ्यक्रम एवं समान मूल्यांकन व्यवस्था हो। गुणात्मक शैक्षणिक व्यवस्था के लिये भी आवश्यक है कि केन्द्र एवं राज्यों में समान प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों की समान सेवा शतें/वेतन व्यवस्था हो लेकिन प्राथमिक स्तर पर स्थानीय सामाजिक/भौगोलिक/आर्थिक/जीवन दर्शन का पाठ्यक्रम में समावेश हो।

18. सामाजिक समरसता को विकसित करते हुए खेलकूद व सैन्य शिक्षा का समावेश –

छात्रों में खेल भावना का सृजन करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने की दृष्टि से शिक्षा में सामाजिक समरसता को विकसित करते हुए खेलकूद व सैन्य शिक्षा का उचित समावेश किया जाना अपेक्षित है।

19. विद्यालय स्तर पर स्वायत्तशासी विद्यालय शिक्षा नियामक आयोग का गठन –

विद्यालय विकास एवं शिक्षा में गुणात्मक विकास में वित्तीय कमी, शिक्षकों की स्थानान्तरण/पदोन्नति/वित्तीय समस्याओं/राजनैतिक रूप से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नकारात्मक स्थिति रहती है। इसलिये इन व्यवधानों का समय–समय पर सकारात्मक निराकरण के लिये स्वायतशासी विद्यालय शिक्षा नियामक आयोग गठित किया जाना चाहिये।

20. विद्यालयी व्यवस्थाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं हो।

वर्तमान में विद्यालय स्तर पर बढ़ रहे राजनैतिक हस्तक्षेप से संस्था प्रधानों के निर्देशों/सुझावों की अनदेखी, बढ़ रही अनुशासनहीनता एवं अपने दायित्वों से विमुखता को देखते हुए विद्यालयों की व्यवस्था/प्रबन्धन में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करते हुए संस्था प्रधानों को वैधानिक स्वायत्तता देते हुए उत्तरदायीपूर्ण बनाया जाये।

21.शिक्षा प्रणाली शोध/अनुसन्धान युक्त एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिये हो –

शिक्षा प्रणाली, शोध/अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाली हो जिससे छात्र विषय–वस्तु के बारे में स्पष्ट विचार जान सके एवं उसका सदुपयोग परिवार/समाज में एवं राष्ट्र के लिये उसी दृष्टिकोण से कर सके।

देवलाल गोचर
प्रदेश महामंत्री
रा.शि.सं.(राष्ट्रीय)